राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय / के.प्र.स. / 2022 /   दिनांक 13.09.2022

—::कार्यालय आदेश::—

विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्रवेश समिति—2022—23 की आयोजित बैठक दिनांक 12.09.2022 में लिये गये निर्णय जो कि माननीय कुलपति महोदय से दिनांक 13.09.2022 को अनुमोदित के अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय / विभाग / केन्द्रों में संचालित स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सत्र 2022—23 के प्रवेश के लिए निम्नलिखित दिशा—निर्देश जारी किये जाते हैं:—

1. राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय / विभाग / केन्द्रों में सत्र 2022—23 के लिये विद्यार्थियों के द्वारा स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये जमा शुल्क को विद्यार्थी के प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में विद्यार्थियों के द्वारा शुल्क वापसी के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों के अनुसार आयकरदाता नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय / विभाग / केन्द्रों के द्वारा उन विद्यार्थियों की सूची तैयार कर लेखा एवं वित्त विभाग में प्रस्तुत करने पर लेखा एवं वित्त विभाग द्वारा उन विद्यार्थियों का शुल्क लौटाना सुनिश्चित करें।
2. राजस्थान विश्वविद्यालय के विभाग / केन्द्रों के द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता सूची दिनांक 14.09.2022 तक जारी करें एवं दिनांक 15.09.2022 से 17.09.2022 तक दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात दिनांक 17.09.2022 को सांय 4.30 बजे तक विभाग द्वारा डाटा तैयार कर इन्फोनेट को भिजवाना एवं दिनांक 18.09.2022 से 20.09.2022 तक ऑनलाइन शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।
3. राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागों / केन्द्रों में बी.ए—बी.एड तथा बी.एस.सी—बी.एड के विद्यार्थियों के द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आवेदन किया है तथा उनका परीक्षा परिणाम आना शेष है, उन विद्यार्थियों को वरीयता सूची में न्यूनतम उत्तीर्णांक (36 प्रतिशत) मानते हुये सूची में शामिल किया जाना सुनिश्चित करें।
4. राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश काउन्सलिंग के माध्यम से करना सुनिश्चित करें।
5. राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये खेल श्रेणी (Sports Category) में तीन वर्ष सत्र 2019—20, 2020—21 व 2021—22 के प्रमाण पत्र स्वीकार करना सुनिश्चित करें।
6. राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागो / केन्द्रों में संचालित सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / पी.जी. डिप्लोमा व बी.लिब एण्ड इन्फॉर्मेशन साइन्स पाठ्यक्रमों में (सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू, सर्टिफिकेट कोर्स इन गाँधीयन स्ट्डीज व सर्टिफिकेट कोर्स इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशियन के अतिरिक्त) में प्रथम प्रवेश सूची दिनांक 15.09.2022 को जारी करना, विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 16.09.2022 से 19.09.2022 तक करना व उनकी ऑनलाइन शुल्क दिनांक 20.09.2022 से 22.09.2022 तक जमा करना, द्वितीय प्रवेश सूची दिनांक 23.09.2022 को जारी करना दिनांक 24.09.2022 से 26.09.2022 तक दस्तावेज सत्यापन

Scanned by CamScanner

करना व दिनांक 27.09.2022 से 29.09.2022 तक ऑनलाइन शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।

7. राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागो/केन्द्रों में संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन गाँधीयन स्टडीज, सर्टिफिकेट कोर्स इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशियन व सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये विभाग अपने स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र शुल्क जमा करना व ऑफलाइन आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2022 से 21.09.2022 तक जारी कर तथा विद्यार्थियों से जमा ऑफलाइन आवेदन पत्र शुल्क को एक साथ कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के A/C No- 674701701612 में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
8. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये विद्यार्थियों के द्वारा स्नातक परीक्षा में प्राप्तांको की गणना 30 प्रतिशत पर करने के पश्चात वेटेज (Weightage) दिया जाना सुनिश्चित करें।
9. राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग में एम.लिब एण्ड इन्फोर्मेशन साइन्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये URATPG के माध्यम से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को शत–प्रतिशत प्रवेश दिये जाने व विभाग में बी.लिब एण्ड इन्फोर्मेशन साइन्स पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। उन विद्यार्थियों को URATPG की परीक्षा में प्रविष्ठ के अनुसार मेरिट में नाम आने पर एम. लिब एण्ड इन्फोर्मेशन साइन्स पाठ्यक्रम में अस्थाई प्रवेश करना सुनिश्चित करें।
10. राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय/विभागो/केन्द्रों में संचालित स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11()/आ.क. व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार नागरिको के हित को दृष्टीगत रखते हुये एक बार जारी Income & Asset. Certificate एक वर्ष के स्थान पर विद्यार्थी के द्वारा निर्धारित EWS का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम तीन वर्ष के लिये मानना सुनिश्चित करें।
11. सत्र 2022–23 में राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागों/केन्द्रों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये अन्तराल अवधि (Gap Period) की बाध्यता नहीं होगी।

sd/-

(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप–कुलसचिव (शैक्षणिक–2)

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/के.प्र.स./2022/6718-30 दिनांक 13.09.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रो. एस.एल.शर्मा, संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश समिति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. उप–कुलसचिव, लेखा एवं वित्त विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई बैंक बापू नगर शाखा, जयपुर।
6. निजी सचिव–कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

13.09.2022

(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप–कुलसचिव (शैक्षणिक–2)

Scanned by CamScanner